न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला –चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु बाला राजावत (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं0 23/2019, प्रार्थना पत्र – 212

1– श्रीमती रसीलाबाई पुत्री राधेश्याम जणवा पत्नी गणपतलाल नि. भाणुजा हा. मु जलोदा जागीर तह. छोटीसादड़ी

– प्रार्थीया

।। बनाम ।।

1 राधेश्याम पिता मातीलाल जणवा नि. भाणुजा
2 भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

– अप्रार्थीगण

उपस्थित – 1. श्री नरेश जोशी – वकील प्रार्थीया
2. श्री विजयसिंह राठौड. एवं भागीरथ डांगी – वकील अप्रार्थी

।। निर्णय ।। दिनांक 31.8.2021

1– यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का पेश किया गया । कि मौजा भाणुजा तहसील बडीसादडी की खाता संख्या 388 की आराजी नम्बर 1297 रकबा 0.27 है., आराजी नम्बर 1342 रकबा 0.18 हैक्ट.,आराजी नम्बर 1343 रकबा 0.20 है., आराजी नम्बर 1448 रकबा 1.10 है., आराजी नम्बर 1449 रकबा 0.86 हैक्ट., आराजी नम्बर 1450 रकबा 0.21 हैक्ट, आराजी नंम्बर 1647 रकबा 0.43 हैक्ट, आराजी नंम्बर 1835 रकबा 0.63 हैक्ट, आराजी नम्बर 1836 रकबा 0.55 हैक्ट, आराजी नम्बर 1916 रकबा 0.06 हैक्ट, आराजी नम्बर 1933 रकबा 0.61 हैक्ट, आराजी नम्बर 1941 रकबा 0.39 है., आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.01 है., आराजी 1945 रकबा 2.36 हैक्ट. कुल किता 14, कुल रकबा 7.86 है., स्थित है। प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उक्त आराजीयात में वर्तमान में विपक्षी नम्बर 1 राधेश्याम व हुडीबाई, चांदीबाई व जमनाबाई के शामलाती खातेदारी में दर्ज होकर आराजीयात में से आराजी नम्बर 1342 एवं 1343 जमनाबाई के नाम पर दर्ज है। तथा आराजी नम्बर 1933 रकबा 0.61 है. हुडीबाई व चांदीबाई के नाम पर संयुक्त रूप से रिकोर्ड दर्ज है। शेष आराजीयात अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.09.10 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि प्रार्थीया के द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि मौजा भाणुजा पटवार हल्का भाणुजा की खाता संख्या 389 की आराजी नम्बर 1285 रकबा, 0.17 हैक्टर, आराजी नम्बर 1286 रकबा 0.28 हैक्टर, आराजी नम्बर 1288 रकबा 0.14 हैक्टर अप्रार्थी नम्बर 1 राधेश्याम व पन्नालाल के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थीया के द्वारा अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में अंकित आराजी प्रार्थीया व

अप्रार्थी क्रमांक 1 राधेश्याम तथा अप्रार्थी नम्बर 1 के अन्य वारीसान की पुश्तेनी एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज आराजीयात पैतृक होकर सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी राधेश्याम के पिता मोतीलाल एवं पुत्रियों मनोहरी बाई, स्व. गीताबाई, रसीलाबाई तथा पुजा का सजरा भी दर्शाया गया है। स्व.गीताबाई की पुत्री खुशी का नाम भी अंकित किया गया है।

2. यह कि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी राधेश्याम के कोई पुत्र संतान नहीं होकर चार पुत्रियां ही है। प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित आराजीयात में प्रार्थीया एवं राधेश्याम में अन्य पुत्रियों का प्रत्येक बराबर–बराबर 1/5 हक–हिस्सा निहित है। यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र संख्या 3 में अंकित आराजीयात का 1/2 हक–हिस्सा राधेश्याम के नाम दर्ज होकर आराजीयात में वादियां एवं अन्य पुत्रियों के बराबर–बराबर 1/10 हक जन्म से ही निहित होकर प्रार्थीया 1/2 हक घोषित कराने के अधिकारी है।

3. यह कि प्रार्थीया के द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 1342, 1343 एवं 1933 हुडीबाई, चांदीबाई व जमनाबाई को विक्रय कर दी है। यह भी अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लकवाग्रस्त होकर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, अन्य व्यक्तियों के बहकावे के में आकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द करने का आमदा है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वह वादग्रस्त आराजीयात को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, विक्रय, बय बक्षीस कर हस्तान्तरित आदि ना करे, ना करावे एवं मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। प्रार्थीया ने यह भी अंकित किया है कि उसका प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के सिद्धांत के पक्ष में है।

4. यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 20.06.2019 को प्रार्थीया के पक्ष में एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का आदेश पारित किया गया तथा अप्रार्थीगण को हुक्मनामा जारी करने का आदेश दिया गया।

5. यह कि अप्रार्थी क्रमांक 2 की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे उसके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी राधेश्याम की ओर से प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब की कलम संख्या 4 में अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया एवं विपक्षीगण क्रमांक 2 से 4 की पूश्तैनी पैतृक आराजी नहीं है। यह भी अंकित किया गया है कि सम्पूर्ण आराजीयात तनहारूप से विपक्षी संख्या 1 की एकल स्वामित्व व आधीपत्य की संपति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.09.10 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया व विपक्षीगण 2 से 4 की पुश्तैनी आराजीयात नहीं है तथा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में अंकित है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया व विपक्षीगण संख्या 2 से 4 का प्रत्येक का 1/5 हक व हिस्सा नहीं है। तथा अप्रार्थी जीवित है। अप्रार्थीयां संख्या 3 कुमारी खुशी की माता गीताबाई की मृत्यु हो चुकी है। तथा अप्रार्थीयां खुशी का कोई हक व हिस्सा न कभी था और न है। यह भी अंकित किया गया है कि विपक्षीगण 2 व 4 का जन्म सन् 2004 से पूर्व का होकर प्रार्थीया रसीलाबाई लगभग 35–36 वर्ष की है। अप्रार्थीया मनोहरी बाई लगभग 44–45 वर्ष है। अप्रार्थीया पुजा लगभग 30–31 की वर्ष की है। जिनका जन्म निःसंदेह सन् 2004 से पूर्व का है, तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत माह सितम्बर 2005 से पूर्व उत्पन्न पुत्रियों का अपने पिता के स्वामित्व व आधिपत्य की संपति में तब तक कोई राईट, टाईटल तथा इन्टरेस्ट उत्पन्न नहीं होता है जब तक की पुत्रियों के पिता की मृत्यु नहीं हो गई हो। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया रसीलाबाई, अप्रार्थीया मनोहरीबाई तथा पुजा के पिता तथा अप्रार्थीया संख्या 3 का दादा (ग्रांडफादर) विपक्षी राधेश्याम जीवित है। अप्रार्थीया खुशी की माता गीताबाई का देहांत भी अपने पिता विपक्षी राधेश्याम के जीते जी हो गया है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 के संपत्ति में गीता के अधिकार समाप्त हो गये थे। इसलिए अप्रार्थी का खुशी का कोई अधिकार आराजीयात में ''एबइनीशीयो'' उत्पन्न नहीं हुआ इसलिये प्रार्थीया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने खातेदार पिता के जीविता अवस्था में आराजीयात का विभाजन कराने के लिए पुत्र पुत्रियों अधिकारी नहीं है।

7. यह कि अप्रार्थी के द्वारा जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार तथा पारिवारिक सामाजिक वैद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवार के हित में आराजी का क्रय–विक्रय करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा वैद्य रूप से किये गये किसी विक्रय को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। जवाब में यह भी अंकित है कि विपक्षी संख्या 1 मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है एवं अपने व अपने परिवार का भला बुरा समझने की स्पष्ट रूप से समझ व शक्ति रखता है जिसे कोई भी व्यक्ति बहला–फुसला नहीं सकता अप्रार्थी के द्वारा यह भी जवाब में अंकित किया गया है कि [illegible] पारिवारिक आवश्यकताओं एवं समुचित इलाज के बावत धन की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए अप्रार्थी आराजी का कोई भाग आवश्यकतानुसार विक्रय करने का अधिकारी है इसलिये अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद्ध नहीं कराया जा सकता।

8. यह कि अप्रार्थी की ओर से अंकित किया गया है कि प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है और न ही कोई सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का तनहारूप के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.09.10 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष से खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीया का आराजीयात में न तो कोई हक व हिस्सा है और न ही प्रार्थीया खातेदार है। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा देने से अप्रार्थी को भारी असुविधा होगी तथा अकूत हानि होगी इसलिये अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कराया जा सकता।

9. यह कि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब के साथ विशेष कथन में अंकित किया गया है कि मात्र रसीलाबाई की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थीया की दो सग्गी बहनें क्रमशः अप्रार्थीया क्रमांक 2 मनोहरीबाई तथा अप्रार्थीया संख्या 4 पूजा एवं अप्रार्थीया संख्या 3 कुमारी खुशी जो कि स्व. गीता की पुत्री है की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के द्वारा यह प्रार्थना पत्र दुरभावना पूर्वक विपक्षी को मानसिक रूप से परेशान करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थीया के पति गणपतलाल के द्वारा विपक्षी राधेश्याम से काफी बडी धनराशि उधार ली गयी है जिसकी डिमाण्ड विपक्षी द्वारा करने पर गणपतलाल नाराज हो गया तथा उस नाराजगी के कारण उव उधार ली गयी धन राशि को हड़पने के आशय से अपनी पत्नी रसीला की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा यह भी जवाब में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी के कोई पुरूष संतान नहीं होने के कारण प्रार्थीया का पति विपक्षी की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहता है।

10. यह कि बहस उभयपक्ष सुनी गयी । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । प्रार्थीया के अधिवक्ता का पूर्ण जोर इस बात पर रहा कि राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अप्रार्थी को पाबंद कराये जाये कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनायी रखी जाये। प्रार्थीया के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी लकवाग्रस्त है तथा चलने–फिरने, सोचने–समझने की स्थिति में नहीं है। जिसे कोई भी बहला–फुसला कर अप्रार्थी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजीयात को खुर्द–बुर्द करा सकता है। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई । यह कि प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस के दौरान निम्नांकित न्याय निर्णयों पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया –

क– 2020 (2)आर.आर.टी.2020 पेज नं. 170, 172

ख– 2020 (2)आर.आर.टी. 998 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा

ग– 2019 (2)आर.आर.टी. 1468 मनोहरी [illegible] वगैराह

उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायिक निर्णय 2020 (2)आर.आर.टी.2020 पेज नं. 170, 172 तथा ख– 2020 (2)आर.आर.टी. 998 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा हिन्दु सक्सेक्शन एक्ट की धारा 1956 (6) संशोधित 9.9.2005 के अनुसार पुत्र के समान पुत्री भी सम्पति में सहदायी है। पुत्र के समान पुत्री भी समान अधिकार का दायित्व रखती है। पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.09.10 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित सम्पति में अधिकार का दावा कर सकती है 9.9.2005 को पिता को जीवित होनो आवश्यकत नहीं है। अधिनियम की धारा 6 क अन्तर्गत प्रदत्त सम्पति में समानता के अधिकार से पुत्रियों को वंचित नहीं किया जा सकता और 9.9.2005 से अधिकार की मांग कर सकती है। न्यायिक निर्णय 2019 (2)आर.आर.टी. 1468 मनोहरी बनाम भरोसी वगैराह में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रिवेन्यू अजमेर ने व्याख्या की हिन्दू उत्ताराधिकारी की धारा 8 के अधीन प्रत्येक वारिसान का हिस्सा 1/16 होना चाहिए । भूमि प्रथम श्रेणी के वारिसान में निहित होगी । वाद सम्पति में भाई तथा बहिनों का बराबर हिस्सा है

11. यह कि विपक्षी के अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस में प्रार्थीया की ओर से उठाये गये तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी न तो लकवग्रस्त है और न ही मानसिक रूप से स्वस्थ है। यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीया की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह तथ्या साबित होता हो कि अप्रार्थी लकवाग्रस्त एवं मानसिक रूप से स्वस्थ न हो।
12. यह कि अप्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से इस बिन्दु पर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि प्रार्थी की बहन मनोहरीबाई व पूजा के द्वारा तथा स्व. गीता की पुत्री खुशी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही न्यायालय में मूल वाद में उनकी ओर से प्रार्थीया के वादपत्र को स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय का ध्यान इस बिन्दु की ओर आकर्षित किया गया है कि पिता के जीवित रहते हुए उसकी सन्तान पिता के नाम पर दर्ज खातेदारी की आराजी का बडवाडा नहीं करा सकते जबकि प्रार्थीया की ओर से घोषणा के अलावा बटवाडे का वादपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर भी जोर दिया गया कि किसी खातेदार के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । जबकि अप्रार्थी खातेदार है।
13. यह कि अप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस के दौरान निम्नांकित न्याय निर्णयों पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया –

क– 2016 (1)आर.आर.टी.364 पुरूषोतम बनाम राजस्थान स्टेट

ख– 2018 (1)आर.आर.टी.692 पानबाई बनाम चन्द्रप्रकाश

ग– 2016 (2)आर.आर.टी.1323 ओमप्रकाश बनाम द्वारकाप्रसाद

घ– 2017 (1)आर.आर.टी.717 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.09.10 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायिक निर्णय 2018 (1)आर.आर.टी.692 पानबाई बनाम चन्द्रप्रकाश, 2016 (2)आर.आर.टी.1323 ओमप्रकाश बनाम द्वारकाप्रसाद में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि खातेदार के विरूद्ध टी.आई जारी नहीं की जा सकती । न्यायिक निर्णय 2016 (1)आर.आर.टी.364 पुरूषोतम बनाम राजस्थान स्टेट में यह

प्रतिपादित किया गया है कि पिता के जीवन काल में पुत्र के द्वारा आराजी में विभाजन क्लेम नहीं किया जा सकता । न्यायायिक निर्णय 2017 (1)आर.आर.टी.717 (एच.सी.) बाबुलाल बनाम गंगु में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि एकपक्षीय निषेधाज्ञा का आदेश न्यायसंगत नहीं था। उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तो की सहमती व्यक्त करती है। तथा उक्त न्यायिक निर्णय प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से मेल खाते है।

15 यह कि अप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान उठाये गये बिन्दुओं से न्यायालय सहमति व्यक्त करता है। अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी, चाहे वह संयुक्त खातेदारी में हो अथवा असंयुक्त खातेदारी में हो, वह खातेदार काश्तकार है। प्रकरण में जो आराजीयात अप्रार्थी के साथ संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उनमें किसी संयुक्त खातेदार के द्वारा कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीया को कोई प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को सिद्धान्त भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत अप्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है तथा उसके अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने से अप्रार्थी को न सिर्फ असुविधा होगी बल्कि अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी को ही होगी। अप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा उठाया गया यह बिन्दू भी विचारणीय एवं महत्वपूर्ण है कि अप्रार्थी की शेष दो पुत्रियों मनोहरीबाई तथा पूजा के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गयी है और न हो स्व. गीता की पुत्री खुशी के द्वारा भी कोई कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। जिससे यह आभास मिलता है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी को परेशान करने के आशय से दुर्भावना पूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। अप्रार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये है जो पूर्णतया इस प्रकरण पर चस्पा होते है।

—:आदेशः—

अतः प्रार्थीया रसीलाबाई का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी राधेश्याम पिता मोतीलाल जणवा निवासी भाणुजा अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है। तथा दिनांक 20.06.2019 को पारित एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त घोषित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.09.10 13:12:48 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दु बाला राजावत)RAS
सहायक कलक्टर
बडीसादडी